संख्या–क0नि0–5–1897 /11–2004–312 ।147 ।/2003

प्रेषक,

रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश श्शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 दिनांकः 26 अप्रैल, 2004

विषयः– बड़े मूल्य के लेखापत्रों द्वारा आन्तरित सम्पत्ति के स्थल निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पार्श्वांकित पत्रों द्वारा आपको द्वारा आपको अपने अपने जनपदों के 5 बडी मालियत के लख लेखापत्रों द्वारा आन्तरित का कर प्रत्येक माह निरीक्षण आख्या महानिरीक्षक निबन्धन को भेजते हुए प्रति शासन को भेजने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु मात्र 05 से 10 जनपदों से ही सूचनायें नियमित रुप से प्राप्त हो रही है। शेष जनपदों से सूचनायें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। यह स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। कतिपय जनपदों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं में यह स्पष्ट नहीं होता है कि पायी गयी स्टाम्प कमी का कारण क्या है तथा कमी पाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई है।

पत्र सं0–क0नि0–5–वी0आई0पी0–146। 2।/11–2003
दिनांक 28.08.2002
पत्र सं0–क0नि0–5–वी0आई0पी0–487/11–2003
दिनांक 21.10.2003

आप सभी अवगत ही हैं कि जनपदों में इस प्रकार किये जा रहे औचक निरीक्षण में एक और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी और स्टाम्प करापवंचन करने कराये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होने से समाज में स्टाम्प चोरी न किये जाने का सन्देश भी प्रसारित हो रहा है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धनगण अपने–अपने जनपदों में क्रमशः–05, 25 व 50 बड़े मूल्य के लेखापत्रों द्वारा अन्तरित सम्पत्तियों के स्थल निरीक्षण करें। स्टाम्प कमी पाये गये प्रकरणों में नियमानुसार पंजीकरण तिथि से चार वर्ष के

अन्दर के प्रकरणों में तत्काल स्टाम्पवाद आयोजित करते हुए कार्यवाही की जाय तथा यदि उक्त अवधि व्यतीत हो चुकी हो तो नियमानुसार शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए ही अग्रिम कार्यवाही की जाय। जिन प्रकरणों में स्टाम्प कमी रु0 50,000/– से अधिक पायी जाय उसमें यह जांच अवश्य करा ली जाय कि कहीं विभागीय कार्मिक कदाशयता में संलिप्त पाये जाये तो उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति भी उपलब्ध कराई जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मासिक सूचनाऐं नियमित रुप से आगामी माह की 10 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराते हुए प्रति महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(रीता सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–1597(1) /11–2004, तद्दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफीसर ,मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विशेष सचिव